सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–12

(वर्ष 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,
हरिद्वार।

पत्रांकः अशा0-06/14797-03/अनुदान-145/2022-23 दिनांक 09 नवम्बर, 2022

विषय- **साई बाबा जूनियर हाईस्कूल तांशीपुर, रूड़की, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 521/XXIV-A-2/22-03/2020 दिनांक 25 अक्टूबर 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा साई बाबा जूनियर हाईस्कूल तांशीपुर, रूड़की, हरिद्वार को शासनादेश संख्या-52/XXIV-4/2017-10(66)/2015, दिनांक 04.01.2017 की व्यवस्थानुसार प्रोत्साहन धनराशि के रूप में **प्रतिवर्ष रू0 1,00,000/-(रू0 एक लाख मात्र)** की आवर्तक सहायता अनुदान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त शासनादेश की छायाप्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि साई बाबा जूनियर हाईस्कूल तांशीपुर, रूड़की, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्धों/मानकों का अनुपालन करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न- **यथोपरि।**

भवदीय,

(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

पृ0सं0 अशा0-06/14797-03/ अनुदान-145/2022-23 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी हरिद्वार।
4. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार।
6. सम्बन्धित पत्रावली में सुरक्षित।

(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

I/77644/2022

संख्या– 521 /XXIV-A-2 /22-03/2020

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड (देहरादून)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 25 अक्टूबर, 2022

विषय: साई बाबा जूनियर हाईस्कूल तांशीपुर, रुड़की, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रुप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– अशा०–6/8278/अनुदान–145/2021–22, दिनांक 01 नवम्बर, 2021 एवं पत्र संख्या– अशा०–6149/अनुदान–145/2022–23, दिनांक 06 जुलाई, 2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०–52/XXIV-4/2017-10(66)/2015, दिनांक 04 जनवरी, 2017 की प्राविधानानुसार "साई बाबा जूनियर हाईस्कूल तांशीपुर, रुड़की, हरिद्वार" को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में **प्रतिवर्ष रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र)** की आवर्तक सहायता अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृत अनुदान के सम्बन्ध में उक्तानुसार उल्लिखित शासनादेश संख्या–52/XXIV-4/2017-10(66)/2015, दिनांक 04 जनवरी, 2017 द्वारा निर्धारित समस्त प्रतिबन्धों/मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तदनुसार उक्त का भुगतान नियत लेखाशीर्षक की सुसंगत मद से नियमानुसार किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के अशा0सं0–I/71505/2022, दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 21-10-2022 18:06:21
(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV-A-2 /22-03/2020, तद्दिनाँकत।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य/जिला शिक्षाधिकारी, (प्रा0) हरिद्वार।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

Signed by Pradeep Joshi
Date: 25-10-2022 12:19:52

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,
हरिद्वार।

पत्रांकः अशा0–06/15006-12/अनुदान–147/2022–23 दिनांक 14 नवम्बर, 2022

विषय– देव भूमि पब्लिक जूनियर हाईस्कूल दरगाहपुर, लक्सर, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 227/XXIV-A-2/22-30/2021 दिनांक 17 अक्टूबर 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा देव भूमि पब्लिक जूनियर हाईस्कूल दरगाहपुर, लक्सर, हरिद्वार को शासनादेश संख्या–52/XXIV-4/2017-10(66)/2015, दिनांक 04.01.2017 की व्यवस्थानुसार प्रोत्साहन धनराशि के रूप में प्रतिवर्ष **रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र)** की आवर्तक सहायता अनुदान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त शासनादेश की छायाप्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि देव भूमि पब्लिक जूनियर हाईस्कूल दरगाहपुर, लक्सर, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्धों/मानकों का अनुपालन करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

पृ0सं0 अशा0–06/15006-12/ अनुदान–147/2022–23 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी हरिद्वार।
4. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार।
6. सम्बन्धित पत्रावली में सुरक्षित।

(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक, 14/11/22
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

I/69654/2022

संख्या– 227 /XXIV-A-2 /22-30/2021

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा (देहरादून)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2022

विषयः देव भूमि पब्लिक जूनियर हाईस्कूल दरगाहपुर, लक्सर, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अशा0–6/10476/अनुदान–152/2021–22, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 एवं अशा0–6/5698/अनुदान–152/2022–23, दिनांक 29 जून, 2022 के अनुक्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देव भूमि पब्लिक जूनियर हाईस्कूल दरगाहपुर, लक्सर, हरिद्वार को शासनादेश सं0–52/XXIV-4/2017-10(66)/2015, दिनांक 04.01.2017 की प्राविधानानुसार प्रोत्साहन धनराशि के रूप में प्रतिवर्ष रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) की आवर्तक सहायता अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत अनुदान के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–52/XXIV-4/2017-10(66)/2015, दिनांक 04.01.2017 द्वारा निर्धारित समस्त प्रतिबन्धों/मानकों का अनुपालन, कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त का भुगतान नियत लेखाशीर्षक की सुसंगत मद से नियमानुसार किया जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के अशा0सं0– I/68233/2022, दिनांक 04 अक्टूबर, 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
Signed by Raman Ravinath
Date: 11-10-2022 13:29:40
(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV-A-2 /22-30/2021, तद्दिनाँकत।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य शिक्षाधिकारी, (प्रा0) हरिद्वार।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

Signed by Pradeep Joshi
Date: 11-10-2022 13:47:51 (प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,
हरिद्वार

पत्रांकः अशा0-06/ 11122-29 /अनुदान-92(II)/2022-23 दिनांक 06 सितम्बर, 2022

विषय- **श्रीराम पब्लिक जूनियर हाईस्कूल, करणपुर, खानपुर , हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 921/XXIV-A-2/22-06(15)/2015 दिनांक 29 अगस्त 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्रीराम पब्लिक जूनियर हाईस्कूल, करणपुर, खानपुर, हरिद्वार को शासनादेश संख्या-52/XXIV-4/2017-10(66)/2015, दिनांक 04.01.2017 के प्राविधानानुसार प्रोत्साहन धनराशि के रूप में रू0 1,00,000/-(रू0 एक लाख मात्र) प्रतिवर्ष की आवर्तक सहायता अनुदान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि श्रीराम पब्लिक जूनियर हाईस्कूल, करणपुर, खानपुर, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्धों/मानकों का अनुपालन करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

पृ0सं0 अशा0-06/ 11122-29 / अनुदान-92(II)/2022-23 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी हरिद्वार।
4. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार।
6. सम्बन्धित पत्रावली में सुरक्षित।

(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

8811/2022

993
31-8-22

संख्या- 921 /XXIV-A-2 /22-06(15)/2015

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

DD (अनु०)
30/8/2022

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 29 अगस्त, 2022

विषय- श्रीराम पब्लिक जूनियर हाईस्कूल, करणपुर, खानपुर, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रुप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-अशा0-6/10713/अनुदान-80(iii)/2021-22, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 के अनुक्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीराम पब्लिक जूनियर हाईस्कूल, करणपुर, खानपुर, हरिद्वार को शासनादेश सं0-52/XXIV-4/2017-10(66)/2015, दिनांक 04.01.2017 के प्राविधानानुसार प्रोत्साहन धनराशि के रूप में **रू0 1,00,000/-(रू0 एक लाख मात्र)** प्रतिवर्ष की आवर्तक सहायता अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत अनुदान के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-52/XXIV-4/2017-10(66)/2015, दिनांक 04.01.2017 द्वारा निर्धारित समस्त प्रतिबन्धों/मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त का भुगतान नियत लेखाशीर्षक की सुसंगत मद से नियमानुसार किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त अनु-03, उत्तराखण्ड शासन के अशा0सं0- I/56823/2022/XXVII(3)/ 2022, दिनांक 18 अगस्त, 2022 के द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 26-08-2022 16:57:50
(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या- ( )/XXIV-A-2 /22-06(15)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी हरिद्वार।
4. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

Signed by Pradeep Joshi
Date: 29-08-2022 11:16:16
Reason: Approved
(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,
हरिद्वार

पत्रांकः अशा0–06/11971-77 /अनुदान–143/2022–23 दिनांक 20 सितम्बर, 2022

विषय– **चौधरी बालचन्द्र सैनी जूनियर हाईस्कूल, ढण्डेडी, ख्वाजगीरपुर, रूड़की, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 930/XXIV-A-2/22-04/2020 दिनांक 08 सितम्बर 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चौधरी बालचन्द्र सैनी जूनियर हाईस्कूल, ढण्डेडी, ख्वाजगीरपुर, रूड़की, हरिद्वार को शासनादेश संख्या–52/XXIV-4/2017-10(66)/2015, दिनांक 04.01.2017 की व्यवस्थानुसार प्रोत्साहन धनराशि के रूप में रू0 **1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र)** प्रतिवर्ष की आवर्तक सहायता अनुदान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त शासनादेश की छायाप्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि चौधरी बालचन्द्र सैनी जूनियर हाईस्कूल, ढण्डेडी, ख्वाजगीरपुर, रूड़की, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्धों/मानकों का अनुपालन करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

पृ0सं0 अशा0–06/11971-77 / अनुदान–143/2022–23 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी हरिद्वार।
4. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार।
6. सम्बन्धित पत्रावली में सुरक्षित।

(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)
हरिद्वार।

पत्रांकः अशा0–06/7959-65/अनुदान–132/2022–23 दिनांक 09, अगस्त, 2023

विषय– न्यू चिल्ड्रन फाउण्डेशन एकेडमी जूनियर हाईस्कूल, खानपुर, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 463/XXIV-A-2/23-03/2022 दिनांक 28 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा न्यू चिल्ड्रन फाउण्डेशन एकेडमी जूनियर हाईस्कूल, खानपुर, हरिद्वार को शासनादेश संख्या–52/XXIV-4/2017-10(66)/2015, दिनांक 04.01.2017 की व्यवस्थानुसार प्रोत्साहन धनराशि के रूप में प्रतिवर्ष रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) की आवर्तक सहायता अनुदान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त शासनादेश की छायाप्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि न्यू चिल्ड्रन फाउण्डेशन एकेडमी जूनियर हाईस्कूल, खानपुर, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश में उल्लिखित प्रतिबन्धों/मानकों का अनुपालन करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,
9/8/2023
(आर0के0 उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

पृ0सं0 अशा0–06/7959-65/ अनुदान–145/2022–23 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी हरिद्वार।
4. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार।
6. सम्बन्धित पत्रावली में सुरक्षित।

9/8/2023
(आर0के0 उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

संख्या: 463 /XXIV-A-2/23–03/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून,दिनांक: 28 जुलाई, 2023

विषयः न्यू चिल्ड्रन फाउण्डेशन एकेडमी जूनियर हाईस्कूल, खानपुर, हरिद्वार को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में आवर्तक सहायता अनुदान प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–अशा0/11450/अनुदान–132II/2021–22, दिनांक 01 जनवरी, 2022 एवं सं0–अशा0–06/1580/अनुदान/2023–24 दिनांक 06 जून, 2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–52/XXIV-4/2017-10(66)2015 दिनांक 04 जनवरी, 2017 की प्राविधानानुसार "न्यू चिल्ड्रन फाउण्डेशन एकेडमी जूनियर हाईस्कूल, खानपुर, हरिद्वार" को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में प्रतिवर्ष रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) की आवर्तक सहायता अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृत अनुदान के सम्बन्ध में उक्तानुसार उल्लिखित शासनादेश सं0–52/XXIV-4/2017-10(66)2015 दिनांक 04 जनवरी, 2017 द्वारा निर्धारित समस्त प्रतिबन्धों/मानकों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए, तदनुसार उक्त का भुगतान नियत लेखाशीर्षक की सुसंगत मद से नियमानुसार किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की अशा0सं0–I/139570/2023 दिनांक 20.07.2023 जुलाई, 2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है।

Signed by Raman Ravinath
Date: 26-07-2023 12:39:52

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः— ()/XXI V-A-2/23–03/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य/जिला शिक्षाधिकारी (प्रा0शि0) हरिद्वार।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 26-07-2023 14:13:25

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 27/07/2023 06:20 PM

मैनुअल–13

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित शासनादेश/आदेश प्रा0 शिक्षा निदेशालय स्तर से व्यवहृत नहीं हैं। अतः मैनुअल–13 से सम्बन्धित सामग्री शून्य है।

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–14

(वर्ष 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

मैनुअल–14

सूचना प्राप्त किये जाने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जनसाधारण को विभाग के विषय में सामान्य जानकारी एवं विभिन्न क्रियाकलापों में जानकारी प्रदान करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक फार्मेट में

w.w.w.gov.in.schooleducation पर सामग्री उपलब्ध करायी गयी है।

विभाग की बैवसाइट पर निम्न बिन्दुओं पर सूचनाएं प्रस्तुत की गयी है:

1– विभाग की सामान्य जानकारी।

2– प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, अध्यापक संख्या एवं छात्र संख्या।

3– सूचना अधिकार का विवरण (मैनुअल 01 से 17)

4– वार्षिक बजट।

5– राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012

6– उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1985

7– उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग की ज्येष्ठता सूची।

8– उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व।

9– उत्तराखण्ड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011

10– मिनिस्ट्रियल संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों के लिए वार्षिक गोपनीय आख्या प्रपत्र

11–विभागीय ढाँचा।

12–प्रशासन योजना।

13–उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण विधेयक–2017

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण।

प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा विभिन्न सूचनाओं के जनसाधारण तक निम्न उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जा रहा है:–

1– समाचार पत्रों के विज्ञप्तियों के प्रकाशन।

2– सूचना अनुभाग (प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक)

3–पूछताछ काउन्टर (प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक)

4– विभागीय मैनुअल।

5–सी0डी।

6– वैबसाइट– w.w.w. schooleducation.uk.gov.in

प्रतिवर्ष विभागीय प्रगति के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति भी जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाती है।

<u>समाचार पत्रों के द्वारा–</u>समय–समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से लोक हित में विभिन्न सूचनाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा समाजिक चेतना एवं विभागीय प्रयासों को नाटक के माध्यम से प्रचारित किया जाता है।

<u>प्रदर्शनी के द्वारा–</u> विभिन्न सामाजिक/सांस्कृतिक त्यौहारों पर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को जनसभा तक पहुचाने का कार्य किया जाता है।

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–15

(वर्ष 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

मैनुअल–15

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण।

प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा विभिन्न सूचनाओं के जनसाधारण तक निम्न उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जा रहा है:-

1– समाचार पत्रों के विज्ञप्तियों के प्रकाशन।

2– सूचना अनुभाग (प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक)

3–पूछताछ काउन्टर (प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक)

4– विभागीय मैनुअल।

5–सी0डी।

6– वैबसाइट– w.w.w. schooleducation.uk.gov.in

प्रतिवर्ष विभागीय प्रगति के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति भी जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाती है।

समाचार पत्रों के द्वारा–समय–समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से लोक हित में विभिन्न सूचनाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा समाजिक चेतना एवं विभागीय प्रयासों को नाटक के माध्यम से प्रचारित किया जाता है।

प्रदर्शनी के द्वारा– विभिन्न सामाजिक/सांस्कृतिक त्यौहारों पर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को जनसभा तक पहुचाने का कार्य किया जाता है।

सूचना पटो के द्वारा– सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत एवं अन्य जनोपयोगी सूचनओं का प्रकटन निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों के स्तर पर सूचना पटों के द्वारा यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक अद्यतन प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाता है।

अभिलेखों के अवलोकन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा–उपबन्धों के अधीन अनुरोध कर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन कर सकता है। दस्तावेजो की प्रति प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के करने की व्यवस्था द्वारा–उपबन्धों के अधीन अनुरोध कर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों/दस्तावेजों की प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। उपलब्ध विभागीय मैनुअल्स सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा–4 द्वारा–अन्तर्गत तैयार किये गये 17 बिन्दुओं पर उपलब्ध मैनुअल्स के निःशुल्क अवलोकन द्वारा ऐसे किसी भी लोक प्राधिकारी के कार्यालय में जहाँ उक्त 17 मैनुअल्स की प्रति उपलब्ध हो कर सकता है। लोक प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय) के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुअल्स

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–16

(वर्ष 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

मैनुअल–16

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड के अधीन समस्त लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का संशोधित नवीन ढाँचा।

<u>माननीय सूचना आयोग द्वारा आर०टी०आई० ऑनलाइन विभिन्न स्तरों पर निम्नवत् नामित नोडल अधिकारियों का विवरण</u>

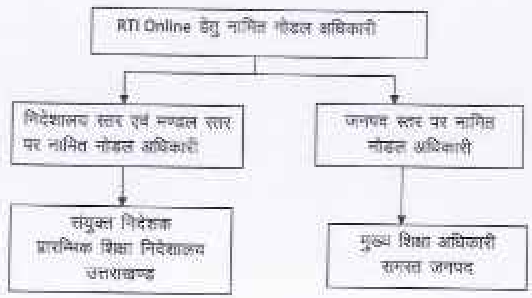

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

1– अपर निदेशक(प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

2– अपर निदेशक (प्रा0शि0)
कुमायूं मण्डल नैनीताल।

3– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

4– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) उत्तराखण्ड।

5– समस्त उप शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक/सू0अ0/प्रा0शि0/ 748-58 /नवीन ढॉचा/2023–24/ दिनांक 29 फरवरी, 2024

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून में नये स्तर से प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त लोक प्राधिकारी/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 5(1) के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून में नये स्तर से लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने हेतु नवीन ढॉचा संशोधित किया गया है।

अतः महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के अनुमोदनोपरान्त सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 5(1) के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून में नये स्तर से लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी निम्नवत् नामित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	नामित दायित्व	पदनाम	लिंक अधिकारी
01	लोक सूचना अधिकारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठतम	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी II कार्यालय में वरिष्ठतम
02	विभागीय अपीलीय अधिकारी	संयुक्त निदेशक (द्वितीय)	संयुक्त निदेशक (प्रथम)

भवदीय,
29/2/2024
(आर0 के0 उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0:सू0अ0/ 748-58 /नवीन ढॉचा/2023–24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड लाडपुर देहरादून।
2– निजी सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड देहरादून।
5– अपर निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
6– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
7– सम्बन्धित विभागीय अपीलीय अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
8– सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
9– समस्त अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
10– प्रभारी, एम0आई0एस0 विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित ढॉचा विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

29/2/2024
(आर0 के0 उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

महत्वपूर्ण/अति आवश्यक

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में

1– मण्डलीय अपर निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊमण्डल नैनीताल।
2– लोक सूचना अधिकारी/मु0प्र0अ0 अधिकारी
कार्यालय, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊमण्डल नैनीताल।
3– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त लो0सू0अ0/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शिक्षा) उत्तराखण्ड।

पत्रांक–सू0प्र0/ 200-232 /दिशा निर्देश/2022–23 दिनांक 22 जून, 2022

विषय– लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रभावी क्रियान्वयन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्याः सू0प्र0–11/1708–09/ 2021–22 दिनांक 17 जून, 2022 के साथ संलग्न मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड मा0 सूचना आयोग के पत्र संख्या 2041 दिनांक 09 जून, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अनुरोधकर्ताओं को सूचना प्रेषित करने एवं विभागीय लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में है।

अतः उपरोक्त विषयक समस्त लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों (प्रारम्भिक शिक्षा विभाग) को निर्देशित किया जाता है कि महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून एवं माननीय उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों/वर्णित बिन्दुओं का संलग्न के रूप में संलग्न करते हुए कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें, ताकि सूचना आवेदन कर्ताओं को वांछित सूचना की प्राप्ति आसानी से हो सके।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय
22/06/2022
(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/ सू0प्र0/ 200-232 /दिशा निर्देश/2022–23 दिनांक उपरांकित।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– मुख्य सूचना आयुक्त, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को सूचनार्थ
2– समस्त उप शिक्षा अधिकारी, द्वारा– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

114
15/06/2022
by Mail

प्रेषक,

महत्वपूर्ण / मा० आयोग (ई-मेल)

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

1-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3-निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
4-अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।
5-अपर निदेशक, (माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल।
6-समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7-समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,(माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा) उत्तराखण्ड।
8-समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक: सं०प्र०-11/1708-09 /मा०आयोग-1/2021-22 दिनांक 17 जून, 2022

विषय:- **लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड सूचना अयोग के पत्र संख्या 2041 दिनांक 09 जून, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों / शिकायतों की सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारियों व विभागीय अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों व प्रथम अपीलों के निस्तारण में मुख्य रूप से निम्नलिखित कमियां पायी गई है जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है:

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 (1) में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि सूचना अनुरोध पत्र प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिन की अवधि के भीतर अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध करायी जानी चाहिए या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार किये जाने की सूचना दी जानी चाहिए, जो कि कतिपय लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा नही किया जा रहा है।
2. लोक सूचना अधिकारियों द्वारा आवेदनकर्ताओं को सूचना प्रदान करने / अनुरोध अस्वीकार करने, अतिरिक्त शुल्क की मांग करने अथवा तृतीय पक्ष की सूचना को देने / अस्वीकार करने के संबंध में प्रेषित किये जाने वाले पत्रों में अतिरिक्त शुल्क की गणना के आधार / अनुरोध अस्वीकृति के विरूद्ध अपील करने के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता वर्णित नहीं किये जाते हैं जिसके अभाव में आवेदनकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती है।
3. लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 6 (3) के अंतर्गत किये जा रहे अंतरण में अत्यधिक समय लिया जा रहा है तथा कई अवसरों पर अनुरोध पत्रों का गलत लोक सूचना अधिकारियों को अंतरण किया जा रहा है। लोक सूचना अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुरूप ही अनुरोध पत्र का अंतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 5 दिन की अवधि के भीतर सही लोक सूचना अधिकारी को किया जाए।
4. अधिकांश लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा आवेदकों को पैरा वार अथवा संलग्नानुसार सूचना प्रदान की जा रही है जबकि लोक सूचना अधिकारी को बिन्दुवार सूचना देनी चाहिए।
5. प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रथम अपील की सुनवाई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के बहुत बाद में करते हुए उनका निस्तारण किया जा रहा है। कतिपय मामलों में तो प्रथम अपील की सुनवाई भी नहीं की जा रही है।

सूचना का
अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–17

(वर्ष 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

मैनुअल–17

प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण/अनुश्रवण एवं अन्य समस्त व्यवहृत कार्यो से सम्बन्धित शासनादेश एवं आदेश।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पत्रांक/अका(04) /20195-20204 /शैक्षिक पंचाग /2023-24, दिनांक 31, मार्च 2024

विषयः **शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित शैक्षिक पंचाग के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त राज्य में संचालित शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में सम्पादित होने वाले कियाकलापों से सम्बंधित विभागीय शैक्षिक पंचाग इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि शैक्षिक पंचाग 2024-25 के अनुसार प्रत्येक गतिविधि/कियाकलापों को निर्धारित समय पर सम्पादन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
28/3/2024

(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं० अकादमिक-04/20195-20204 /शैक्षिक पंचांग/2023-24 दिनांक उक्तांकित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०,उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रा०शि०/मा०शि० गढवाल मण्डल पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त प्राचार्य, डायट,उत्तराखण्ड।
9. समस्त उप शिक्षा अधिकारी, द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

28/3/2024

(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु शैक्षिक पंचांग की रूपरेखा
शिक्षा सत्र 2024–25

माह	प्रस्तावित कार्यक्रम	तिथि/सप्ताह
01	02	03
अप्रैल 2024	नवीन शैक्षिक सत्र प्रारम्भ एवं नवीन विद्यार्थियों का पंजीकरण/स्कूल चलो अभियान।	01 अप्रैल 2024
	प्रवेशोत्सव	01 अप्रैल से 15 अप्रैल तक
	छात्र नामांकन के लिए बच्चों का चिन्हांकन व पंजीकरण	1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2024 तक
	नवीन सत्र के लिए समय सारिणी तैयार करना, विद्यालय में विभिन्न समितियों/सदनों का गठन।	01 अप्रैल से 15 अप्रैल तक
	नवीन कक्षाओं में पाठ्यक्रमानुसार शिक्षण कार्य प्रारम्भ।	प्रथम सप्ताह से
	कक्षा 01 में नवप्रवेशी बच्चों के लिए 03 माह का विद्याप्रवेश मॉड्यूल (आरोही) का संचालन	सतत्।
	'मिशन कोशिश' के अन्तर्गत समस्त छात्रों को नवीन कक्षा की तैयारी ,पिछली कक्षा के सम्बोधो की पुनरावृत्ति/ब्रिज कोर्स/ आदि के माध्यम से शिक्षण	सतत्
	विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन एवं आम सभा की प्रथम बैठक	08 अप्रैल, 2024
	निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) के लक्ष्यों का प्रचार–प्रसार एवं कार्ययोजना तैयार करना।	प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह
	Doubt Clearing Day & English Speaking Day	प्रत्येक सप्ताह के शनिवार
	इन्सपायर अवार्ड– विद्यार्थियों का ऑन लाइन नामांकन	सतत्
	विद्यालय विकास योजना, विद्यालय आपदा प्रबन्धन (SDMP) योजना निर्माण तथा विद्यालय स्तर पर योजना का क्रियान्वयन करना।	तृतीय सप्ताह तक
	अध्यापक दैनन्दिनी निर्माण एवं प्रतिदिन गृहकार्य जांच।	तृतीय सप्ताह/प्रतिदिन
	विश्व पृथ्वी दिवस।	22 अप्रैल 2024
	लैंगिक उत्पीडन के निराकरण, निषेध एवं सुधार के उद्देश्य से समिति का गठन।	तृतीय सप्ताह तक
	Learning outcomes का प्रदर्शन एवं प्रचार–प्रसार।	तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह
	बाल संसद –स्वच्छता (घर, विद्यालय, गांव, मोहल्ला, गलियों की स्वच्छता एवं परिसर को प्लास्टिक मुक्त करना)।	तृतीय शनिवार
	विद्यालय में ईको–क्लब एवं स्कूल सेफ्टी क्लब का गठन।	तृतीय सप्ताह तक
	सम्भार एवं अन्य पंजिकाओं का भौतिक सत्यापन।	चतुर्थ सप्ताह तक
	विद्यालय प्रबन्ध समिति की कार्यकारी परिषद् का गठन व शिक्षक अभिभावक संघ की आम बैठक।	माह के अंतिम शनिवार तक।
	प्रतिभा दिवस।	माह के अन्तिम शनिवार।
	कैरियर काउंसिलिंग व गाइडेन्स जिज्ञासा लिंक–"आप पूछे हम बताएं का उपयोग/बाल सखा"।	सतत्
	कब/बुलबुल स्काउट गाइड दलों का पंजीकरण/नवीनीकरण की कार्यवाही।	सतत्।
	एजुकेशन पोर्टल में छात्र–छात्राओं के प्रोफाइल को ऑनलाईन करना एवं अपडेट करना।	सतत।
	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बालगणना (घर–घर सर्वेक्षण द्वारा)।	सम्पूर्ण माह।

Scanned with OKEN Scanner

	विश्व श्रमिक दिवस।	01 मई, 2024
	कक्षा 01 में नवप्रवेशी बच्चों के लिए विद्याप्रवेश मॉड्यूल (आरोही) का संचालन	सतत्।
	'मिशन कोशिश' के अन्तर्गत समस्त छात्रों को नवीन कक्षा की तैयारी ,पिछली कक्षा के सम्बोधों की पुनरावृत्ति/ब्रिज कोर्स/ आदि के माध्यम से शिक्षण।	सतत्
	विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों का चिन्हांकन।	प्रथम सप्ताह तक
	इन्सपायर अवार्ड– विद्यार्थियों का ऑन लाइन नामांकन।	सतत्
	Doubt Clearing Day & English Speaking Day	प्रत्येक सप्ताह के शनिवार
	न्यून परिणामों वाले सम्बोधों, Learning outcomes संबंधी, गतिविधि आधारित प्रश्नबैंक विकास।	द्वितीय सप्ताह तक
	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) आधारित परीक्षण।	प्रतिदिन/मासिक
	रेडक्रास दिवस	08 मई 2024
मई 2024	विद्यालय स्तरीय खेल टीमों का चयन एवं अभ्यास।	तृतीय सप्ताह तक
	कब/बुलबुल स्काउट गाइड दलों का पंजीकरण/नवीनीकरण की कार्यवाही प्रथम सोपान/द्वितीय सोपान/तृतीय सोपान में प्रतिभाग करवाना ।	सतत।
	बाल संसद–आपदा से बचाव (बाढ़, बादल फटना, नदियों का जल स्तर अचानक से बढ़ना आदि) तथा परिसर को प्लास्टिक मुक्त करना।	तृतीय शनिवार
	मासिक परीक्षा के स्थान पर प्रथम इकाई परीक्षा आयोजित की जायेगी	अन्तिम सप्ताह
	प्रतिभा दिवस।	अन्तिम शनिवार
	छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरवाना एवं प्रेषित करना।	अन्तिम सप्ताह तक
	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	SSA/SCERT के पंचांगानुसार
	स्टाफ बैठक आयोजित करना एवं त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करना।	मासिक/त्रैमासिक
	ग्रीष्मावकाश हेतु Child friendly social based home work./मिशन कोशिश/ ब्रिजकोर्स/पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये शिक्षण का अभ्यास कार्य एवं गृहकार्य देना।	20 मई से 25 मई 2024 ग्रीष्मावकाश हेतु
	ग्रीष्मावकाश (ग्रीष्म कालीन अवकाश वाले विद्यालय)	27 मई से 30 जून 2024 तक
	कक्षा 01 में नवप्रवेशी बच्चों के लिए विद्याप्रवेश मॉड्यूल (आरोही) का संचालन	सतत्
	विश्व पर्यावरण दिवस।	05 जून, 2024
	इन्सपायर अवार्ड– विद्यार्थियों का ऑन लाइन नामांकन	सतत्
	इकाई परीक्षा के आधार पर सुधारात्मक शिक्षण कार्य माह मई की इकाई परीक्षा के आधार पर सुधारात्मक शिक्षण हेतु छात्र–छात्राओं की पहचान, सुधारात्मक शिक्षण। अभिभावकों से इकाई परीक्षा परिणामों की साझेदारी।	प्रथम सप्ताह से द्वितीय सप्ताह तक
जून 2024	Doubt Clearing Day & English Speaking Day	प्रत्येक सप्ताह के शनिवार
	एजुकेशन पोर्टल में छात्र–छात्राओं का प्रोफाइल अपडेट करना।	सतत।
	'मिशन कोशिश' के अन्तर्गत समस्त छात्रों को नवीन कक्षा की तैयारी ,पिछली कक्षा के सम्बोधों की पुनरावृत्ति/ब्रिज कोर्स/ आदि के माध्यम से शिक्षण।	सतत्
	कब/बुलबुल स्काउट गाइड दलों का पंजीकरण/नवीनीकरण की कार्यवाही प्रथम सोपान/द्वितीय सोपान/तृतीय सोपान में प्रतिभाग करवाना।	तृतीय सप्ताह तक।
	ग्रीष्मावकाश (शीत कालीन अवकाश वाले विद्यालय) में ग्रीष्मावकाश हेतु Child friendly social based home work./मिशन कोशिश/	15 जून से 19 जून 2024 तक ग्रीष्मावकाश हेतु

Scanned with OKEN Scanner

जून 2024	ब्रिजकोर्स/पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये शिक्षण का अभ्यास कार्य एवं गृहकार्य देना।	
	ग्रीष्मावकाश (शीत कालीन अवकाश वाले विद्यालय)	20 जून से 30 जून, 2024 तक
	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस।	21 जून 2024
जुलाई 2024	कक्षा 01 में नवप्रवेशी बच्चों के लिए विद्याप्रवेश मॉड्यूल (आरोही) का संचालन	31 जुलाई तक
	न्यून परिणामों वाले सम्बोधों, Learning outcomes संबंधी, गतिविधि आधारित प्रश्नबैंक विकास।	द्वितीय सप्ताह
	ग्रीष्मावकाश में दिये गये गृह कार्य की जांच/सुधारात्मक शिक्षण।	द्वितीय सप्ताह
	Doubt Clearing Day & English Speaking Day	प्रत्येक सप्ताह के शनिवार
	विश्व जनसंख्या दिवस।	11 जुलाई 2024
	विद्यालय विकास अनुदान उपभोग करना।	द्वितीय सप्ताह तक
	लघु मरम्मत/वृहत मरम्मत कार्य एस०एम०सी० द्वारा पूर्ण किया जाना	तृतीय सप्ताह तक
	बाल संसद– पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का महत्व, स्थानीय परिवेश में उगने/रोपित किये जा सकने वाले वृक्ष एवं उनकी प्रजातियाँ।	तृतीय शनिवार
	संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन	तृतीय/चतुर्थ सप्ताह तक
	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण करना।	समग्र शिक्षा/एस.सी.ई.आर.टी. के पंचांगानुसार
	श्री देव सुमन दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण।	25 जुलाई 2024
	शौर्य दिवस (कारगिल दिवस)	26 जुलाई, 2024
	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) आधारित परीक्षण एवं अभिलेखीकरण/रख-रखाव	प्रतिदिन/मासिक
	ब्लॉक स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी	अंतिम सप्ताह
	इन्सपायर अवार्ड– विद्यार्थियों का ऑन लाइन नामांकन	अंतिम सप्ताह तक
	एजुकेशन पोर्टल में छात्र–छात्राओं का प्रोफाइल अपडेट करना।	सतत।
	प्रतिभा दिवस	अन्तिम शनिवार
	विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित आवेदन उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना।	30 जुलाई 2024 तक
अगस्त 2024	जिला स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी	प्रथम सप्ताह
	न्यून परिणामों वाले सम्बोधों, Learning outcomes संबंधी, गतिविधि आधारित प्रश्नबैंक विकास।	द्वितीय सप्ताह
	Doubt Clearing Day & English Speaking Day	प्रत्येक सप्ताह के शनिवार
	स्वतंत्रता दिवस का आयोजन।	15 अगस्त 2024
	विकास खण्ड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन।	तृतीय सप्ताह तक
	बाल संसद – रोग एवं स्वास्थ्य तथा निरोगी रहने के उपाय, स्कूल सेफ्टी एवं परिसर को प्लास्टिक मुक्त रखना।	तृतीय शनिवार
	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी०सी०ई०) आधारित परीक्षण।	अन्तिम सप्ताह
	प्रतिभा दिवस	अन्तिम शनिवार
	मासिक परीक्षा के स्थान पर द्वितीय इकाई परीक्षा आयोजित की जायेगी	अन्तिम सप्ताह
	राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी	अंतिम सप्ताह
	राष्ट्रीय खेल दिवस	29 अगस्त 2024
	विज्ञान महोत्सव एवं गणित मेले का विद्यालय स्तर पर आयोजन।	निर्धारित कार्यक्रमानुसार
	एजुकेशन पोर्टल में छात्र–छात्राओं का प्रोफाइल अपडेट करना।	सतत।

Scanned with OKEN Scanner

अक्टूबर 2024	विश्व बचत दिवस	30 अक्टूबर, 2024
	बाल संसद – नशा एवं अन्य सामाजिक बुराईयां, अभिशाप एवं बचाव।	तृतीय शनिवार
	सी0सी0ई0 के आधार पर समेटिव आंकलन/अर्द्धवार्षिक परीक्षा	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह
	प्राथमिक विद्यालय–मैथ्स विजार्ड एवं स्पैल जीनियस	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह
	प्रतिभा दिवस।	माह के अन्तिम शुक्रवार
	जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव, गणित मेला एवं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन	अंतिम सप्ताह
	राष्ट्रीय एकता दिवस	31 अक्टूबर, 2024
नवम्बर 2024	एस0एम0सी0/एस0एम0डी0सी0 प्रशिक्षण	प्रथम सप्ताह
	अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर सुधारात्मक शिक्षण कार्य माह अक्टूबर की अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर सुधारात्मक शिक्षण हेतु छात्र–छात्राओं की पहचान, सुधारात्मक शिक्षण। अभिभावकों से अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणामों की साझेदारी।	प्रथम सप्ताह से द्वितीय सप्ताह तक
	उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस तथा जनपद स्तरीय क्विज प्रतियोगिता।	09 नवम्बर, 2024
	Doubt Clearing Day & English Speaking Day	प्रत्येक सप्ताह के शनिवार
	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस	11 नवम्बर, 2024
	बाल दिवस/टी.एच.डी.सी. द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन/छात्र प्रतिभा दिवस आयोजन व (बाल चौपाल का आयोजन) चिन्हित बच्चों को पुरस्कार वितरण।	14 नवम्बर, 2024
	यथा सम्भव प्रयास कि पाठ्यक्रम का दो तिहाई भाग पूर्ण करना।	द्वितीय सप्ताह तक
	न्यून परिणामों वाले सम्प्रोषों, Learning outcomes संबंधी, गतिविधि आधारित प्रश्नबैंक विकास।	द्वितीय सप्ताह
	U-DISE प्रपत्र को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजना	द्वितीय सप्ताह
	राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन	द्वितीय सप्ताह तक
	विश्व विद्यार्थी दिवस	17 नवम्बर, 2024.
	अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस	20 नवम्बर, 2024
	बाल संसद – पर्यावरणीय जागरूकता– जल संरक्षण, वनों का संरक्षण, ग्राम वनों का संरक्षण एवं उपयोग	तृतीय शनिवार
	विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस एवं संविधान दिवस	26 नवम्बर, 2024
	विकासखण्ड एवं जनपद–मैथ्स विजार्ड एवं स्पैल जीनियस प्रतियोगिता	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह
	राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस	माह नवम्बर के चतुर्थ रविवार
	मासिक परीक्षा के स्थान पर तृतीय इकाई परीक्षा आयोजित की जायेगी	अन्तिम सप्ताह
	प्रतिभा दिवस।	माह के अन्तिम शनिवार
	प्रा0वि0 एवं उ0प्रा0वि0 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन(CCE) आधारित परीक्षण एवं अभिलेखीकरण/रख–रखाव	30 नवम्बर, 2024
	जनपद– सपनों की उड़ान	अन्तिम सप्ताह
	राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव, गणित मेला एवं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन	अंतिम सप्ताह
दिसम्बर 2024	विश्व एड्स दिवस	01 दिसम्बर, 2024.
	अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस पर विद्यालयों में पेन्टिंग प्रतियोगिता विकलांगता दिवस:– खेल–कूद, निबन्ध तथा सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।	03 दिसम्बर, 2024
	इकाई परीक्षा के आधार पर सुधारात्मक शिक्षण कार्य	प्रथम सप्ताह से द्वितीय सप्ताह

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

महत्वपूर्ण / अतिआवश्यक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

1. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी**, प्रा0शि0 / L2 स्तर उत्तराखण्ड।
2. **समस्त उप शिक्षा अधिकारी** / L1 स्तर
   उत्तराखण्ड (द्वारा–जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0)

पत्रांक :विविध(08)/14423 - 28 /सी0एम0हैल्प0/2023–24 दिनांकः 14 दिसम्बर, 2023

विषयः **सी0एम0हैल्पलाईन 1905 एकीकृत पोर्टल एवं लैटर मॉनिटरिंग पैकेज (एल0एम0एस0) पर दर्ज लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पुनः सी0एम0हैल्पलाईन 1905 एकीकृत पोर्टल एवं लैटर मॉनिटरिंग पैकेज (एल.एम.एस.) (प्रारम्भिक शिक्षा स्तर) पर दर्ज लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में *"कृपया सी0एम0 हैल्पलाईन शिकायतों को अपडेट करने का कष्ट करें"* के निर्देश दिये गये हैं।

अवगत कराना है कि शासन स्तर से भी अनेक शिकायतें L3 स्तर को प्राप्त हुयी हैं जो कि सम्बन्धित जनपदों पर कार्यवाही होने के कारण **L1 स्तर (उप शिक्षा अधिकारी) एवं L2 स्तर (जिला शिक्षा अधिकारी) को अन्तरित की गयी हैं। संज्ञान में लाना है कि L1 स्तर (उप शिक्षा अधिकारी) एवं L2 स्तर (जिला शिक्षा अधिकारी) के कुछ जनपदों में अत्यधिक संख्या में शिकायतें प्रदर्शित हो रही हैं।** जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि उच्च अधिकारियों द्वारा दिये जा रहे निर्देशों पर भी इस कार्य का नियमित रूप से निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जो अत्यन्त खेदजनक विषय है। यह भी संज्ञान में लाना है कि इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों द्वारा यह भी निर्देश दिये गये थे कि यदि उक्त प्रकरणों पर आपके स्तर से यथाशीघ्र कार्यवाही नहीं की गयी तो सम्बन्धित जिले के अधिकारियों का वेतन आहरण नहीं किया जायेगा।

अतः उक्त के सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से प्रत्येक दिन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की मॉनिटरिंग करते हुए (सम्बन्धित स्तर) शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें साथ ही सम्बन्धित शिकायतकर्ता को भी अवगत करायें। स्मरण रहे कि प्रकरण पर शासन द्वारा समीक्षा के दौरान यदि कोई प्रतिकूल कार्यवाही की जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वंय का होगा।

संलग्नक–शासन द्वारा प्राप्त सी0एम0हैल्पलाईन 1905 पर लम्बित शिकायतों की रिर्पोट।

भवदीय
14/12/23
(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

संख्या:- /XXX(6)/19-01(08)/18

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-6 देहरादूनः दिनांकः 08 फरवरी, 2019

विषयः **राज्य में प्रचलित समाधान योजना एवं आई0वी0आर0 सिस्टम के माध्यम से प्रचलित टोलफ्री नं0 1905 योजना को अतिकमित करते हुये मुख्यमंत्री हैल्पलाईन cmhelpline.uk.gov.in योजना प्रारम्भ किये जाने विषयक।**

महोदय,

राज्य में सुराज एवं सुशासन की स्थापना के लिए सरकारी तंत्र में पारदर्शिता के साथ-साथ सरकारी कार्यशैली मे गुणवत्ता को बढ़ाते हुए एक सहभागी एवं जवाबदेही व्यवस्था का निर्माण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उक्त कम में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या:-46/XLIII-1/2013-02(06)2012 दिनांक 21 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या:-495/XLIII-1/2013-02(06)2012 दिनांक 18.04.2016 द्वारा आम जनता की शिकायतों/ समस्याओं/परिवादों के त्वरित निस्तारण हेतु उन्हें ऑन-लाईन दर्ज करने एवं निर्धारित अवधि में उनका निस्तारण कर सूचना ऑन-लाईन प्रदान किये जाने की व्यवस्था समाधान योजना का आरम्भ किया गया तथा शासनादेश संख्या 569/XLIII-1/2013-02(02)2017 दिनांक 14.09.2017 द्वारा आई0वी0आर0 सिस्टम के माध्यम से टोल फ्री नं0 1905 की व्यवस्था प्रांरभ की गयी थी। उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों को अतिकमित करते हुए वर्तमान में मुख्यमंत्री हैल्पलाईन योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- वर्तमान सरकार का मूल उद्देश्य **"जन समस्याओं का त्वरित एवं सकरात्मक निवारण"** है जिसमें जन शिकायतों के निराकरण के लिये मुख्यमंत्री हैल्पलाईन का संकल्प निहित है। इस शासनादेश के माध्यम से उपर्युक्त संकल्प को पूरा करते हुये जन शिकायतों के सम्पूर्ण समाधान के लिये मुख्यमंत्री हैल्पलाईन पोर्टल उपलब्ध कराया जा रहा है। Helpline के प्रशासन व Monitoring का सम्पूर्ण दायित्व राज्य लोक सेवा अभिकरण का होगा। उक्त के अतिरिक्त कॉल सेंटर पर प्राप्त शिकायतों को पृथक-पृथक एवं विभागवार तथा जिलावार सूचीबद्ध कर **cmhelpline.uk.gov.in** पर अपलोड किया

(iii) विभागों द्वारा L-1 के स्तर पर शिकायत निस्तारण हेतु 7 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है, जिसके अन्तर्गत निस्तारण का प्राथमिक दायित्व सम्बन्धित L-1 का होगा। यदि L-1 के स्तर पर शिकायत का निस्तारण निर्धारित अवधि में नहीं होता है, तो शिकायत L-2 के डैशबोर्ड पर अनुश्रवण हेतु दिखनी शुरू हो जायेगी, फिर भी निस्तारण का प्राथमिक दायित्व L-1 का ही होगा। इसी प्रकार विभाग द्वारा L-2 एवं L-3 हेतु भी 7-7 दिवसों की समय सीमायें निर्धारित की गयी हैं, जिसकी समाप्ति पर शिकायत उनसे उच्च स्तर के अधिकारी L-4 के डैशबोर्ड पर अनुश्रवण हेतु उपलब्ध हो जायेगी, L-4 के लिये भी समय सीमा 7 दिवस ही रहेगी। यद्यपि शिकायत निस्तारण का प्राथमिक दायित्व L-1 के स्तर पर निर्धारित किया गया है, तथापि L-2 L-3 एवं L-4 के कार्यों की समीक्षा उनके डैशबोर्ड में उपलब्ध अनिस्तारित शिकायतों के आधार पर की जायेगी। भविष्य में विभागों द्वारा अपने लॉग-इन एवं पासवर्ड की सहायता से उक्त वर्गीकरण/समय सीमा को पोर्टल पर आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा।

(iv) शिकायत की निस्तारण आख्या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पोर्टल/ऐप पर निर्धारित समयावधि में पंजीकृत करना आवश्यक होगा। आख्या की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जायेगी, जब तक स्पष्ट रूप से आख्या हार्ड कॉपी में अथवा पत्रावली पर न मांगी गयी हो।

(v) शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर पोर्टल पर अद्यतन आख्या अपलोड करने का दायित्व सर्वप्रथम प्रथम स्तर के अधिकारी L-1 का होगा, परन्तु समस्त स्तर के अधिकारी L-2 L-3 एवं L-4 प्रतिदिन पोर्टल पर लॉग-इन करके प्राप्त शिकायतों का अनिवार्य रूप से अनुश्रवण करेंगे।

(vi) पोर्टल में दर्ज होने के बाद शिकायत विभाग के प्रथम स्तर अधिकारी L-1 को पोर्टल पर ही प्राप्त होगी। L-1 अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत शिकायतकर्ता से सम्पर्क स्थापित कर समस्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर यथोचित निराकरण करेंगे एवं आख्या पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

(vii)शिकायत की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात संबंधित अधिकारी के द्वारा शिकयत के निराकरण करने के लिए 03 विकल्प होंगे-

1. वेबपोर्टल **www.cmhelpline.uk.gov.in** पर लॉग-इन कर शिकायतों का निराकरण दर्ज कर सकते हैं।
2. शिकायत के निराकरण हेतु उपलब्ध **टोल फ्री नम्बर 1800-180-4301** पर कॉल कर निराकरण दर्ज करा सकते हैं।

5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी , उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या:- /xxx(6)/19-01(08)/18

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-6 देहरादून दिनांक 08 फरवरी, 2019

विषय: **राज्य में प्रचलित समाधान योजना एवं आई०वी०आर० सिस्टम के माध्यम से प्रचलित टोलफ्री नं० 1905 योजना को अतिक्रमित करते हुये मुख्यमंत्री हैल्पलाईन cmhelpline.uk.gov.in योजना प्रारम्भ किये जाने विषयक।**

महोदय,

राज्य में सुराज एवं सुशासन की स्थापना के लिए सरकारी तंत्र में पारदर्शिता के साथ-साथ सरकारी कार्यशैली में गुणवत्ता को बढ़ाते हुए एक सहभागी एवं जवाबदेही व्यवस्था का निर्माण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उक्त क्रम में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-48/XLIII-1/2013-02(06)2012 दिनांक 21 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-495/XLIII-1/2013-02(06)2012 दिनांक 16.04.2016 द्वारा आम जनता की शिकायतों/ समस्याओं/परिवादों के त्वरित निस्तारण हेतु उन्हें ऑन-लाईन दर्ज करने एवं निर्धारित अवधि में उनका निस्तारण कर सूचना ऑन-लाईन प्रदान किये जाने की व्यवस्था समाधान योजना का आरम्भ किया गया तथा शासनादेश संख्या 569/XLIII-1/2013-02(02)2017 दिनांक 14.09.2017 द्वारा आई०वी०आर० सिस्टम के माध्यम से टॉल फ्री नं० 1905 की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी थी। उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए वर्तमान में मुख्यमंत्री हैल्पलाईन योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- वर्तमान सरकार का मूल उद्देश्य **"जन समस्याओं का त्वरित एवं सकरात्मक निवारण"** है जिसमें जन शिकायतों के निराकरण के लिये मुख्यमंत्री हैल्पलाईन का संकल्प निहित है। इस शासनादेश के माध्यम से उपर्युक्त संकल्प को पूरा करते हुये जन शिकायतों के सम्पूर्ण समाधान के लिये मुख्यमंत्री हैल्पलाईन पोर्टल उपलब्ध कराया जा रहा है। Helpline के प्रशासन व Monitoring का सम्पूर्ण दायित्व राज्य लोक सेवा अधिकरण का होगा। उक्त के अतिरिक्त कॉल सेंटर पर प्राप्त शिकायतों को पृथक-पृथक एवं विभागवार तथा जिलावार सूचीबद्ध कर **cmhelpline.uk.gov.in** पर अपलोड किया

Scanned with CamScanner

(vi) शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने हेतु सम्बन्धित विभाग का चयन/उल्लेख करना होगा यदि विभाग के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है अथवा संदेह है तो वह **"अन्य"** के विकल्प का चयन कर सकता है।

(vii) शिकायत के अलावा सामान्य जन द्वारा सुझाव एवं मांग दर्ज करने के लिये भी पोर्टल पर अलग से प्राविधान होगा। मांग एवं सुझावों को सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जायेगा, जिसका प्रयोग योजनाओं/नीतियों के निर्माण इत्यादि में किया जायेगा।

(viii) भारत सरकार के पी०जी० पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतें भी पोर्टल पर स्वयमेव प्राप्त होंगी, जिन्हें सम्बन्धित अधिकारियों को निस्तारण हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

5– पोर्टल के माध्यम से दर्ज /पंजीकृत शिकायत/सुझाव/मांग पर अग्रेतर कार्यवाही की प्रकिया–

(i) यदि सामान्य जन द्वारा किसी सरकारी योजना/कार्यक्रम/प्रक्रिया की जानकारी मांगी गयी है, तो पोर्टल की सहायता से कॉल सेन्टर ऑपरेटर संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध करायेगा एवं अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित अधिकारी का सम्पर्क विवरण उपलब्ध करायेगा। इस सम्बन्ध में विभागों द्वारा पोर्टल पर योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी अपलोड करायी जायेंगी, जिसका समय-समय पर विभागों द्वारा अद्यतन भी किया जायेगा।

(ii) आवेदन प्राप्त होने पर कॉल सेन्टर ऑपरेटर सर्वप्रथम आवेदक से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पोर्टल पर उपलब्ध सम्बन्धित विभाग की उपयुक्त शिकायत श्रेणी में पंजीकृत करेगा। पंजीकृत होते ही यह शिकायत सम्बन्धित विभाग के प्रथम स्तर के अधिकारी (L-1) को स्वतः प्रेषित हो जायेगी एवं अधिकारी के पोर्टल पर निस्तारण हेतु उपलब्ध होगी।

(iii) प्रथम स्तर अधिकारी (L-1) को शिकायत का परीक्षण करने पर यदि ऐसा लगता है कि शिकायत उनके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है, तो वह स्पष्ट टिप्पणी अंकित करते हुये आवेदन प्राप्त होते ही **"कार्यक्षेत्र से बाहर है"** बटन का प्रयोग कर सन्दर्भ को पोर्टल पर वापस करेगा, ताकि शिकायत कॉल सेन्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को अन्तरित की जा सके।

(iv) प्रथम स्तर अधिकारी (L-1) दिये गये मोबाइल नं० के आधार पर व्हॉट्स एप के माध्यम से अथवा ई-मेल के माध्यम से अपने अधीनस्थों को शिकायतें स्थानान्तरित कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner